

प्रेषक,

आयुक्त
इलाहाबाद मण्डल,
इलाहाबाद

सेवामें

सचिव,
कन्नीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नयी दिल्ली।

पत्रांक / फ़िल्म /

/ 2010--11 दिनांक २१-७-१०

विषय:- खेलगाँव पंजीकृत स्कूल, खेलगाँव इलाहाबाद को सी०बी०एस०ई० नया दिल्ली में
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या
1915/15-7-09-1(59)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय
समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत रोसाइटी का समय समय पर नवोनाकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाभित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय की कम से कम 10 प्रातिशत रथान अनुभूचित जाति/जनजाति एवं
मेधावी वर्गों के लिए सुरक्षेत रहेंगे और उनसे ००प्र० माध्यमिक शिक्षा
परिषद/देसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के
लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा
विद्यालय की सम्बद्धता संप्रदाल गोर्ड आफ सकेप्ट्री एजूकेशन नयी
दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टफिकेट इवजामिनेशन नयी
दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की
तिथि ००प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से
प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य देतनमानों तथा अन्य मत्तों से कम
वेतननान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असास्त्रीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ
उपलब्ध कराये जायेंगे।

Principal,
Khelgaon Public School
Khelgaon, Allahabad.

Dr. U. K. Mishra
Chairman
Khelgaon Public School
Khelgaon, Allahabad

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(पी०वी०जगमोहन)

आयुक्त

इलाहाबाद मण्डल,

इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/ ५२४६ - ४६ /2010-11 उसीतिथि को प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०, शिविर गार्डलिय 18 पार्करोड, लखनऊ।
2. संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
5. प्रवन्धक, खेलगाँव पब्लिक स्कूल, खेलगाँव इलाहाबाद।
6. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

21.9.10
अमर नाथ वर्मा

(संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद)

Principal
Khelgaon Public School
Khelgaon, Allahabad

Dr. U. K. Mishra
Chairman
Khelgaon Public School
Khelgaon, Allahabad